आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 755/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय– त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स गुलजारी लाल बनवारी लाल जरिये प्रोपराईटर श्री बनवारी लाल गुप्ता पुत्र श्री गुलजारी लाल गुप्ता,
   पताः– दुकान नं. 125, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।
2. श्री बनवारी लाल गुप्ता पुत्र श्री गुलजारी लाल गुप्ता,
   पताः– दुकान नं. 125, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।
   एव बी–87, ब्लॉक–बी, जनता कॉलोनी, वार्ड नं. 50, आदर्श नगर, जयपुर।
3. स्व. श्री अनुज गुप्ता जरिये विधिक वारिसान,
   A. श्री ऋषभ गुप्ता पुत्र स्व. श्री अनुज गुप्ता,
   B. श्रीमती श्यामा गुप्ता पत्नी स्व. श्री अनुज गुप्ता,
   C. सुश्री अवनि गुप्ता पुत्री स्व. श्री अनुज गुप्ता,
   पताः– बी–87, ब्लॉक–बी, जनता कॉलोनी, वार्ड नं. 50, आदर्श नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. रीना वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांकः 10.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **31.12.2020** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री ऋषभ गुप्ता (जरिये विधिक वारिसान एवं हकत्याग) के स्वामित्व की संपत्ति दुकान नं. जी–10, बी–28, शेखावाटी कॉम्पलेक्स, स्टेशन रोड़,, जयपुर, क्षेत्रफल 22.18 वर्गगज** को बन्धक रख कर कुल राशि **40,00,000/–**रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **08.09.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **40,00,000/–**रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **40,24,840.53/–** रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **08.09.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाव नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी **श्री ऋषभ गुप्ता (जरिये विधिक वारिसान एवं हकत्याग) के स्वामित्व की संपत्ति दुकान नं. जी–10, बी–28, शेखावाटी कॉम्पलेक्स, स्टेशन रोड,, जयपुर, क्षेत्रफल 22.18 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **10.01.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर